उत्तर प्रदेश शासन
प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1
संख्या-2404/सोलह-1-2015-14(44)/2015
लखनऊ: दिनांक: 22 जुलाई, 2015

कार्यालय-आदेश

उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा 4 के अन्तर्गत प्रख्यापित निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) समिति का गठन नियमावली 2008 की धारा-3(1) के अनुसार शासन के कार्यालय आदेश संख्या-2463/2008-सोलह-1-5 (डब्ल्यू-48)/2003 दिनांक 27.06.2008 द्वारा निजी क्षेत्र की अभियन्त्रण/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के फीस निर्धारण हेतु प्रवेश और फीस नियमन समिति का गठन किया गया है।

2. प्रवेश और फीस नियमन समिति द्वारा संलग्न सूची में उल्लिखित डिग्री स्तरीय अभियंत्रण संस्थाओं का उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम में शुल्क का निर्धारण विगत वर्षों में किया गया है, उन सभी संस्थाओं में शैक्षिक सत्र 2014-15 हेतु समिति द्वारा पूर्व में निर्धारित शुल्क ही प्रभावी रहा है।

संलग्नक-यथोक्त

मोनिका एस0 गर्ग
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) निजी संस्थानों (सूची संलग्न) के निदेशक/प्राचार्य को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
(2) कुलसचिव, उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
(3) अनुसचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) प्रमुख सचिव, सचिव, समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यक विभाग।
(5) समस्त जिलाधिकारी।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध किशोर)
अनु सचिव

So UO 2015-nc